

21/5/24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय हाजा को राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनने का क्षेत्राधिकार
है। चूंकि अपील घारा - 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
के अन्तर्गत आती है एवं न्यायालय हाजा को
इसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से उपरोक्त अधिकारी
गिरा को पुनः लौटाया जा रहा है। प्रकरण आगामी
पेशी दिनांक 2/7/24 को पेश है।

